उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या:6/2016/1771/43-1-2015-3(7)/2015
लखनऊ: दिनांक: 15 फरवरी, 2016

कार्यालय- ज्ञाप

श्री इन्द्रदेव दुबे, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 जो दिनांक 31 जनवरी, 2016 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये है। इनके अवकाश लेखे में कुल 300 दिनों का उपार्जित अवकाश संचित है। अतएव वित्त (सामान्य)अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:-4-1327/20-2000/77, दिनांक 18 जनवरी,1979 सपठित शासनादेश संख्या:023/दस-85-205/84 दिनांक 14-06-1985 व शासनादेश संख्या:-4-1071/दस-2001/76 दिनांक 21-03-1992 एवं शासनादेश संख्या:-सा-4-383/दस-99-2000/88 दिनांक 01-07-1999 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री इन्द्रदेव दुबे, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 को 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण एतदद्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

2- उक्त नकदीकरण का भुगतान श्री इन्द्रदेव दुबे, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 को किया जायेगा । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उपार्जित अवकाश का नकदीकरण 300 दिनों की सीमा के अन्दर है ।

3- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या:-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुटटी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-02- दिनांक 08 नवम्बर,2000 के पश्चात़ सेवानिवृत्त हित लाभ " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव

संख्या:6/2016/1771(1)/43-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्षित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3- अनुभाग अधिकारी,लेखा,प्रशासनिक सुधार विभाग को दो अतिरिक्त प्रति सहित।
4- श्री इन्द्रदेव दुबे, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 निवासी 633/सी-4 शान्ति विहार कालोनी, चिनहट, लखनऊ। (मोबाईल नम्बर-9415466711)
5- अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।